

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 870]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 नवम्बर 2025 — कार्तिक 26, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 नवम्बर 2025

क्रमांक/LAND-43/481/2025-FOREST. - राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र./व.प्रा./स्था./09/45 दिनांक 8.05.2009 द्वारा पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य के परिक्षेत्र की वर्तमान सीमाओं में “वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972” की धारा 18 (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अधीन अनुसूची-1 के कॉलम-11 में उल्लेखित अनुसार “संरक्षित परिक्षेत्र की सीमाएं” एवं अनुसूची-1 के कॉलम-12 में उल्लेखित अनुसार “अभ्यारण्य की सीमा” में निम्नानुसार परिवर्तन करने के आशय की घोषणा करती है, अर्थात् :-

-: अनुसूची-2 :-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	संश्लिष्ट परिवार का नाम	व्यक्त क्र.	आरक्षित वन/संश्लिष्ट वन	रकबा (हे.)
1	पण्डित अभ्यर्थी	पुजारीकांठर	4	5	6
1			P1190	संश्लिष्ट वन	323
2			P1186	संश्लिष्ट वन	393
3			P1191	संश्लिष्ट वन	403
4			P1192	संश्लिष्ट वन	511
5			P1182	संश्लिष्ट वन	306
6			P1183	संश्लिष्ट वन	341
7			P1184	संश्लिष्ट वन	355
8			P1185	संश्लिष्ट वन	376
9			792	आरक्षित वन	503
10			P1200	संश्लिष्ट वन	244
11			P1201	संश्लिष्ट वन	365
12			P1210	संश्लिष्ट वन	273
13			P1211	संश्लिष्ट वन	263
14			P1212	संश्लिष्ट वन	236
15			P1213	संश्लिष्ट वन	321
16			P1214	संश्लिष्ट वन	221
17			P1215	संश्लिष्ट वन	187
18			P1216	संश्लिष्ट वन	273
19			P1195	संश्लिष्ट वन	238
20			P1196	संश्लिष्ट वन	383
21			P1197	संश्लिष्ट वन	259
22			P1202	संश्लिष्ट वन	243
23			P1193	संश्लिष्ट वन	297
24			P1194	संश्लिष्ट वन	365
25			P1198	संश्लिष्ट वन	337
26			P1199	संश्लिष्ट वन	284
27			793	आरक्षित वन	489
28			794	आरक्षित वन	153
29			795	आरक्षित वन	424
30			796	आरक्षित वन	270
31			797	आरक्षित वन	488
32			798	आरक्षित वन	214
33			P1171	संश्लिष्ट वन	411
34			P1172	संश्लिष्ट वन	259
35			P1177	संश्लिष्ट वन	386
36			P1173	संश्लिष्ट वन	208
37			P1176	संश्लिष्ट वन	467
38			P1169	संश्लिष्ट वन	280
39			P1170	संश्लिष्ट वन	343
40			P1166	संश्लिष्ट वन	275
41			P1167	संश्लिष्ट वन	312
42			P1168	संश्लिष्ट वन	244
43			799	आरक्षित वन	355
44			800	आरक्षित वन	350
45			801	आरक्षित वन	245
46			P1163	संश्लिष्ट वन	371
47			P1164	संश्लिष्ट वन	407
48			P1165	संश्लिष्ट वन	302
49			P1160	संश्लिष्ट वन	352
50			P1161	संश्लिष्ट वन	365
51			P1162	संश्लिष्ट वन	417
52			P995	संश्लिष्ट वन	287.777
53			P996	संश्लिष्ट वन	363.895
54			P1001	संश्लिष्ट वन	213.895
55			P997	संश्लिष्ट वन	449.331
56			P998	संश्लिष्ट वन	183.511
57			P999	संश्लिष्ट वन	275.752
58			P1000	संश्लिष्ट वन	338.13
59			P1002	संश्लिष्ट वन	377.301
60			P1003	संश्लिष्ट वन	388.457
61			P993	संश्लिष्ट वन	386.016
62			P994	संश्लिष्ट वन	270.899
				कुलफल	20221.964

अनुसूची-1 अनुसार सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाते हैं जलस्वरूप अनुसूची-1 के कोलम-6 में उल्लेखित संश्लिष्ट परिवार धरमराव के अंतर्गत आने वाले व्यक्तों का विवरण अनुसूची-3 के अनुसार होगा

-: अनुसूची-3 :-

स. क्र.	अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	कक्षा क्र.	आरक्षित वन/ संरक्षित वन	रकबा (हे.)	स. क्र.	अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	कक्षा क्र.	आरक्षित वन/ संरक्षित वन	रकबा (हे.)	स. क्र.	अभ्यारण्य का नाम	संरक्षित परिक्षेत्र का नाम	कक्षा क्र.	आरक्षित वन/ संरक्षित वन	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	पानेड़	धरमारम	802	आरक्षित वन	299	29	पानेड़	धरमारम	826	आरक्षित वन	291	57	पानेड़	धरमारम	852	आरक्षित वन	298
2	अभ्यारण्य		803	आरक्षित वन	317	30	अभ्यारण्य		834	आरक्षित वन	293	58	अभ्यारण्य		856	आरक्षित वन	314
3			804	आरक्षित वन	311	31			835	आरक्षित वन	306	59			857	आरक्षित वन	231
4			806	आरक्षित वन	321	32			836	आरक्षित वन	261	60			858	आरक्षित वन	267
5			807	आरक्षित वन	206	33			837	आरक्षित वन	291	61			859	आरक्षित वन	294
6			805	आरक्षित वन	316	34			838	आरक्षित वन	273	62			866	आरक्षित वन	272
7			808	आरक्षित वन	306	35			839	आरक्षित वन	251	63			877	आरक्षित वन	239
8			809	आरक्षित वन	267	36			840	आरक्षित वन	323	64			878	आरक्षित वन	240
9			810	आरक्षित वन	279	37			851	आरक्षित वन	327	65			879	आरक्षित वन	250
10			818	आरक्षित वन	233	38			827	आरक्षित वन	315	66			881	आरक्षित वन	206
11			828	आरक्षित वन	233	39			832	आरक्षित वन	330	67			882	आरक्षित वन	246
12			829	आरक्षित वन	297	40			833	आरक्षित वन	433	68			880	आरक्षित वन	306
13			830	आरक्षित वन	243	41			845	आरक्षित वन	219	69			886	आरक्षित वन	250
14			831	आरक्षित वन	231	42			847	आरक्षित वन	268	70			887	आरक्षित वन	253
15			811	आरक्षित वन	248	43			849	आरक्षित वन	278	71			853	आरक्षित वन	261
16			812	आरक्षित वन	340	44			850	आरक्षित वन	282	72			854	आरक्षित वन	278
17			813	आरक्षित वन	270	45			841	आरक्षित वन	298	73			855	आरक्षित वन	299
18			814	आरक्षित वन	272	46			842	आरक्षित वन	286	74			883	आरक्षित वन	293
19			816	आरक्षित वन	250	47			843	आरक्षित वन	282	75			884	आरक्षित वन	227
20			821	आरक्षित वन	245	48			844	आरक्षित वन	270	76			885	आरक्षित वन	301
21			822	आरक्षित वन	345	49			846	आरक्षित वन	271	77			867	आरक्षित वन	243
22			824	आरक्षित वन	344	50			848	आरक्षित वन	280	78			868	आरक्षित वन	217
23			815	आरक्षित वन	355	51			860	आरक्षित वन	262	79			870	आरक्षित वन	309
24			817	आरक्षित वन	288	52			861	आरक्षित वन	270	80			869	आरक्षित वन	214
25			819	आरक्षित वन	349	53			862	आरक्षित वन	369	81			871	आरक्षित वन	259
26			820	आरक्षित वन	259	54			863	आरक्षित वन	251	82			872	आरक्षित वन	309
27			823	आरक्षित वन	198	55			864	आरक्षित वन	289	83			873	आरक्षित वन	347
28			825	आरक्षित वन	227	56			665	आरक्षित वन	209	84			874	आरक्षित वन	400
												85			875	आरक्षित वन	262
												86			876	आरक्षित वन	239
																क्षेत्रफल	24051

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.